STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT FOR INDIAN DOMESTIC SERVIVE WORKERS (DSW) BOUND FOR THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA UNDER ARTICLE 3(IV) OF AGREEMENT ON LABOUR COOPERATION ON DOMESTIC SERVICE WORKERS SIGNED BETWEEN INDIA AND KINGDOM OF SAUDIARABIA	सऊदी अरब राज के भारतीय घरेलू सेवा कार्यकर्ती DSW के लिए सामान्य मकनक रोज़गार अनुबंधन: अनुच्छेद ३(४) के तहत भारत तथा सऊदी अरब द्वारा हस्ताक्षरित घरेलू सेवा कार्यकर्ता DSW के लिए श्रम समझौते पर आधारित:					
This employment contract is executed and entered into by and between: A. Employer: Name National ID Number Visa Number from KSA	यह रोजगार अनुबंध निष्पादित दर्ज किया जाता है द्वारा और बीच में: क. नियोक्ता: गिम राष्ट्रीय पहचान संख्या					
Address: Street ਜ਼ਿੰਕਾ	पता मार्ग ज़िला					
City Civil Status Contact Numbers Mobile Telephone Email	नागरिक स्थिति संपर्क नंबर मोबाइल फोन					
hereinafter called the Employer Represented in the Kingdom of Saudi Arabia by Saudi Recruiting Agency:	ईमेल hereinafter called the Employer Represented in the Kingdom of Saudi Arabia by Saudi Recruiting Agency:					
Name: License no. Telephone	नाम लाइसेंस. संपर्क नंबर					
Address: street District City Contact No. E-mail:	पता: मुहल्ला ज़िला शहर संपर्क					

B. <u>Domestic Wor</u>	<u>ker:</u>	•										सी. घरेलू कामगार:
Name												नाम
Position												पद
Address in India	1:											भारतीय में पता:
Civil Status											=	नागरिक स्थिति
Contact No.												संपर्क नंबर
Passport No.												पासपोर्ट संख्या.
Place of Issue			<u> </u>	·				1	1	<u> </u>		निर्गत का अस्थान
Date of Issue												जारी करने की तारीख
next of kin												निकटतम संबंधी
Relationship												संबंध
Contact No.												संपर्क नंबर
Address:												पताः
Details of Bank	ассо	unt	hel	d in	Inc	dia]	भारत में आयोजित बैंक खाते का विवरण
Name of Bank												बैंक का नाम
Account No.												खाता संख्या
Address:												पताः
herein after callec Recruitment Agen						in I	India	by I	Ind	ian		herein after called DSW Represented in India by India Recruitment Agency if used by DSW:
Name:	-,		~ ;	_ 3,								नाम:
License no.												लाइसेंस संख्या :

Address:		पता:			
street	4	मार्ग			
District	+ $ $	ज़िला			
City Contact No.	+ $+$	नगर संपर्क नंबर			
E-mail:		ई मेल एड्रेस:			
The employer and the DSW hereby voluntarily bit themselves to the following terms and conditions: 1. Site of Employment: In case of any change in the site of employment to Saudi recruitment agency shall inform the same	:he {	नियोक्ता एवं DSW स्वेच्छा से इसके द्वारा निम्नलिखित भर्तों पर एक दूसरे से जुड़े होंगे : १. रोजगार स्थल : रोजगार स्थल में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना सऊदी नियुक्ति एजेंसी भारतीय दूतावास को देगी।			
the Embassy of India.					
2. Contract Duration: The contract shall be valid for a period of two years commencing from the date arrival of the DSW in KSA. The monthly wages shall be calculated for payment from such date.	of	२ अनुबंधन की अविध : अनुबंधन DSW के सऊदी अरब में पहँचने की तिथि से लेकर दो साल तक के लिए मान्य होगा। मासिक वेतन के भुगतान का आँकलन इसी तिथि के आधार पर होगा।			
3. In accordance with the regulations prevailing both countries, the DSW and the employer agree a monthly salary of SR		दोनों देशों में प्रचलित नियमों के अनुसार DSW और नियोक्ता, मासिक वेतन SR पर राजी हुए हैं।			
4. The employer shall help the DSW to open a ba account in KSA subject to applicable SAMA rule. The wages shall be deposited regularly at the end every month in the said account. The passbook deposit slip or their equivalent shall be given to to DSW and remain in her/his custody. The employ shall help the DSW to remit her/his salary through proper banking channels.	es. of or he er	नियोक्ता साऊदी अरब में प्रचलित SAMA नियमों के आधार पर DSW का बैंक खाता खुलवाने में मदद करेगा। मासिक वेतन महीने के अन्त में इसी खाते में जमा किया जाएगा। पास-बुक, जमा पर्ची या अन्य कोई भी संबंधित दस्तावेज या पर्ची DSW के पास ही रखी जाएगी। नियोक्ता DSW को अपना वेतन उचित बैंक माध्यमों से भेजने में उनकी मदद करेगा।			
5. DSW shall be provided with continuous rest of least eight (8) hours per day. The working hours the DSW shall be in accordance with the applicational labor law.	of	५. DSW को प्रतिदिन कम से कम ८ घंटे का आराम अवश्य दिया जाएगा। DSW के प्रतिदिन कार्य करने की अवधि (घंटे) स्थानीय श्रम कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी।			
6. DSW shall be entitled to one day rest per week.	8	६ . DSW को प्रति सप्ताह एक दिन का अवकाश अवश्य दिया जाएगा।			
7. The employer shall pay for the transportation the DSW from the point of origin in India to the s of employment and back to such point of origin India upon expiry of the contract. He shall ensuthat DSW is repatriated in time.	ite in ıre	७. DSW के भारत के मूल निवास स्थल से कार्य-स्थल तक और एक्ज़िट की स्थिति में वापस मूल निवास स्थल तक की यात्रा का खर्च नियोक्ता को देना होगा। नियोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि DSW स्वदेश समय से पहुँच जाए।			
8. The employer shall provide DSW suitable as sanitary living quarters as well as adequate food. case the DSW so desires the employer shall pay mutually agreed amount in lieu of food.	In	८. नियोक्ता DSW को उपयुक्त व स्वच्छ आवास और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराएगा। अन्यथा यदि DSW चाहे तो नियोक्ता उसे भोजन के बदले एक निश्चित धन राशि भुगतान करेगा।			

- **9.** For medical reasons, the DSW shall be allowed to rest and shall continue to receive her/his regular salary. The employer shall bear all expenses incurred in such medical treatment.
- ९. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से DSW को सवेतन अवकाश दिया जाएगा। DSW के उपचार का खर्चा भी नियोक्ता को वहन करना पड़ेगा।

- **10.** The DSW is entitled to:
- (i) paid vacation of 15 days at the end of one year of service.
- (ii) paid vacation leave of thirty (30) days on completion of two years of service with a round trip economy class ticket to India. Where the DSW had availed leave under sub clause(i) above this period of 30 days shall be reduced to 15 days.
- **१०**. DSW निम्नलिखित कर हकदार होगा
 - i) हर वर्ष के अंत में १५ दिनों का सवेतन अवकाश।
 - ii) दो वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद ३० दिनों का सवेतन अवकाश और स्वदेश (भारत) आने-जाने का एकोनॉमी क्लास का टिक्ट।

अगर DSW ने १५ दिनों का सवतेन अवकाश, उपरोक्त खण्ड i) के तहत ले चुका है तब यह अवकाश घटकर १५ दिनों का ही रह जाएगा।

- 11. In case of death during employment, the employer shall transport the mortal remains and personal belongings of DSW to her/his kin in India as soon as legally possible. In case the repatriation of remains is not possible, appropriate funeral may be arranged by employer after obtaining the approval of embassy of India.
- In such cases the employer shall within 15 days of the death of DSW pay to the next of kin or embassy of India:
- (i) all legal dues (ii) end of service benefit and (iii) applicable compensation in accordance with applicable regulations.
- १. यदि कार्य करने के दौरान DSW की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता, उसका पाथिर्व शरीर व निजी वस्तुएँ उसके सगे-सम्बंधियों को कानूनी रूप से यथाशीध्र भारत भेजवाएगा। यदि पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजना संभव न हो तो, भारतीय दूतावास से स्वीकृति लेने के बाद नियोक्ता उसका उपयुक्त तरीके से अंतिम संस्कार करेगा। ऐसी स्थिति में नियोक्ता DSW की मृत्यु के १५ दिनों के भीतर उसके निकटम संबंधी अथवा भारतीय दूतावास को निम्न भुगतान करेगा -
 - (i) सभी कानूनी बकाया ।
 - (ii) सेवा निवृत्ति भत्ता ।
 - (iii) कानून लागू सभी उचित मुआवज़े।
- **12.** (i) The parties to this contract shall endeavor to resolve dispute, if any, arising out of this contract amicably through the Ministry of labor.
- However if the same cannot be resolved as above, the contracting parties may refer the dispute to the appropriate Saudi authorities for conciliation and/or resolution.
- (ii) Both parties shall continue to fulfill their contractual obligations notwithstanding the fact that a dispute has arisen or that the process of conciliation has been initiated.
- १२ (i) पद्ध यदि इस अनुबंधन के संबंध में कोई विवाद हो तो दोनों पक्ष श्रम मंत्रालय द्वारा मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। उपर्युक्त तरीके से विवाद न सुलझने की स्थिति में दोनों पक्ष सुलह अथवा समाधान हेतु उचित सऊदी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
 - (ii) विवाद सुलझाने की प्रक्रिया चलते रहने के बावजूद दोनों पक्ष संविदायत दायित्व को पूरा करते रहेंगे।
- **13.** In case of unauthorized absence of the DSW from the site of employment, the employer shall inform the competent Saudi authority and the Saudi recruiting agency. Such agency shall be responsible for informing the aforementioned absence to embassy of India.
- १३ DSW के नियुक्ति स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में नियोक्ता संबंधित सऊदी अधिकारी और सऊदी नियुक्ति एजेंसी को सूचित करेगा और वे एजेंसियाँ उपर्युक्त अनुपस्थित की सूचना भारतीय दूतावास को देंगी।

However if the DSW has reported her/his willful absence from the site of employment to the competent Saudi authority and the embassy of India, the matter shall be referred to the competent authority for conciliation and or resolution as provided for in clause12 hereinabove.

DSW के नियुक्ति स्थल से जानबूझकर अनुपस्थित रहने की सूचना संबंधित सऊदी अधिकारियों एवं भारतीय दूतावास को देने पर भी इस मामले को संबंधित अधिारियों से समाधान अथवा सुलह के लिए उपर्युक्त अनुच्छेद-१२ के तहत संपर्क किया जा सकता है।

14. Termination of Contract

(i) The employer may terminate the contract by serving upon DSW a written notice. Such termination shall be effected only on the expiry of a period of 30 days from the date of service of the notice on DSW. The DSW shall be paid the wages for this period of 30 days. However if the termination is intended with immediate effect the notice shall state the same and shall be accompanied by wages of two months.

In such case the employer shall also pay for the expenses incurred on obtaining exit papers and air ticket to India to effect the departure.

(ii) The employee may also terminate the contract by giving a written notice of 30 days to the employer and shall pay the employer an amount equivalent to one month wage before departure. However, if the employee terminates the contract with immediate effect, he/she shall pay an amount equivalent to two months wage before departure.

The employer on payment of the amount mentioned here in above shall immediately provide necessary papers to effect exit of DSW from Saudi Arabia.

१४ अनुबंधन की समाप्ति :

- i) यदि नियोक्ता DSW का अनुबंध समाप्त करना चाहे तो उसे DSW को लिखित सूचना देनी होगी और यह समाप्ति सूचना देने के एक महीने बाद ही लागू होगी। यदि नियोक्ता तत्काल ही अनुबंधन समाप्त करना चाहे तो ऐसी स्थिति में २ महीने के वेतन के भगतान के साथ कर सकता है। एसी स्थिति में नियोक्ता को DSW को निकास (Exit) की सभी कागज़ी कार्यवाही तथा भारत के लिए हवाई टिक्ट का खर्च वहन करना होगा।
- (ii) नियुक्त भी नियोक्ता को एक महीने की पूर्व लिखित सुचना देकर अनुबंधन समाप्त कर सकता है और जाने से पहले नियुक्त उन तीस दिनों के वेतन के बराबर रक्म नियोक्ता को अदा करेगा। यदि नियुक्त तत्काल ही अनुबंधन समाप्त करना चाहे तब उसे दो महीने के वेतन के बराबर रक्म नियोक्ता को अदा करनी होगी।

 उपर्युक्त भुगतान के बाद नियोक्ता को नियुक्त के सऊदी अरब से निकास हेतु सभी उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

15.General Provisions:

- a) The Saudi Recruitment Agency shall be responsible for informing the departure and arrival plan of the DSW in the Kingdom of Saudi Arabia to the employer.
- **b)** The employer and her/his family members, and the DSW shall treat one another with respect and dignity.
- **c)** The DSW shall work solely for the employer and his immediate household.

१५ सामान्य प्रावधान :

- (क) DSW के आगमन एवं प्रस्थान से नियोक्ता को अवगत कराने की जिम्मेवारी सऊदी नियुक्ति एजेंसी की होगी।
- (ख) नियोक्ता तथा उसके परिवार के सदस्य और DSW एक दूसरे के साथ सम्मान एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करेंगे।
- (ग) नियोक्ता DSW के नियमित वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेगा। DSW को किसी प्रकार के अग्रिम भुगतान की स्थिति में संबंधित अधिकारी के आदेशानुसार उचित रकम काटी जा सकती है। ऐसी सभी कटौती का वर्णन DSW की वेतत पर्ची पर करना होगा।
- d) The employer shall not deduct any amount from the regular salary of the DSW. However deductions may be made for the recovery of any advance payment made to DSW or on the orders of a competent authority. Such deductions must be reflected in the DSW's pay slip.
- **e)** The employer shall pay the cost of the DSW's residence permit (iqama), exit/re-entry visa, and final exit visa, including the renewals and penalties resulting from delays.
- **f)** The passport and work permit (iqama) of the DSW shall remain in her/his possession.
- g) The DSW shall be allowed to freely communicate with her/his family and the Indian Embassy/Consulate on her/his personal expenses.
- h) The employer shall explain to the members of her/his household the provisions of this contract and ensure that these are observed.
- **16**. Any provision of this Standard Employment Contract may be altered, amended or substituted through the Saudi-Indian Joint Committee.
- **17.** The DSW shall be repatriated at the employer's expense in the event of war, civil disturbance or major natural calamity, or in case the DSW suffers from serious illness or work injury medically proven to render her/him incapable of completing the contract. The DSW shall be paid the wages due till the date of departure from KSA.

- (घ) DSW के निवास अनुमित पत्र (इकामा), प्रस्थान एवं पुन: आगमन

 (Exit-ReEntry),वीज़ा अंतिम प्रस्थान (फाइनल इक्ज़िट),

 इकामा नवीनीकरण अथवा उसमें देरी के कारण लगे जुर्माने आदि का
 भुगतान नियोक्ता को ही करना होगा।
- (इ) पास्पोर्ट तथा इकामा DSW के पास ही रहेगा।
- (च) DSW को स्वतंत्र रूप से अपने परिवार-जनों एवं भारतीय दूतावास अथवा कॉन्सिलेट से अपने खर्च पर संपर्क करने की आजादी होगी।
- (छ) नियोक्ता को अपने परिवार के सदस्यों को भी इस अनुबंधन से अवगत कराकर इनका अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा।
- इस मानक नियुक्ति अनुबंधन में सिकी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन का प्रावधान सऊदी भारतीय संयुक्त कमीटि द्वारा ही तय होगा।
- पुद्ध की स्थिति, सामाजिक अशांति अथवा बड़ी प्राकृतिक आपदा या DSW के गंभीर रूप से बीमार होने या घायल होने के कारण कार्य अनुबंधन पुरा करने की स्थिति में नियोक्ता उसे अपने खर्चे पर स्वदेश भेजेगा और उसके प्रस्थान के दिन तक का सभी बकाया व वेतन का भुगतान करेगा।

- 18. If on the expiry of the contract, the DSW desires to return to India, the employer shall present the bank statement or pay slip of the DSW to Saudi Recruitment Agency. The employer and the DSW shall then sign a final settlement. Such bank statement or proof of settlement may be submitted as evidence in India and in the KSA.
- अनुबंधन की समाप्ति पर यदि DSW भारत लौटना चाहे तो नियोक्ता को DSW की वेतन पर्ची अथवा बैंक विवरण-पत्र का ब्योरा सऊदी नियुक्ति एजेंसी को देना होगा। उसके बाद नियोक्ता एवं DSW अंतिम भुगतान-पत्र पर हस्ताक्षर करेगी। ऐसे दस्तावेज अंतिम सबूत के रूप में भारत एवं सऊदी अरब में जमा कराए जा सकते हैं।
- 19. This contract may be renewed for a period of another two years with the mutual consent of the DSW and the employer. On such renewal the DSW shall be paid an additional sum equivalent to one month salary. A copy of the renewed contract shall be submitted to the Indian Embassy by the employer or Saudi Recruitment Agency.
- १९ इस अनुबंधन को दोनों पक्षों की आपसी रज़ामन्दी से पुनः स्थापन किया जा सकता है। ऐसे पुनः स्थापन के समय DSW को एक महीने के वेतन के बाराबर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस पुनः स्थापित अनुबंधन की एक प्रति भारतीय दूतावास में नियोक्ता अथवा सऊदी नियुक्ति एजेंसी द्वारा जमा कराई जाएगी।
- **20**. This employment contract will be the only valid contract. Any subsequent contract entered into between the employer and the employee in substitution of this contract shall not be valid.
- २० यही नियुक्ति अनुबंधन एक मात्र वध या मान्य अनुबंधन हागा। इसके अतिरिक्त नियोक्ता एवं नियुक्त के बीच हुए बाद के किसी अनुबंधन को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- **21.** Notwithstanding any provision in the applicable regulations of Kingdom of Saudi Arabia related to the domestic service workers, the provisions of this contract shall remain effective.
- २१ सऊदी अरब के DSW संबंधित लागू कानून के प्रावधान के बावजूद इस अनुबंधन के सभी प्रावधान भी प्रभावकारी रहेंगे।
- **22.** The contract shall be written in Arabic and English languages, both languages being equally authentic.
- २२ अनुबंधन अरबी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखि जाएगी और दोनों ही मान्य या वैध होंगे।

हस्ताक्षर

घरेलू सेवा कार्यकर्ता (DSW)	भारतीय भर्ती एजेंसी	सऊदी भर्ती एजेंसी	नियोक्ता